



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062026-273468
CG-DL-E-15062026-273468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2881]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2026/ज्येष्ठ 20, 1948

No. 2881]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026/JYAISTHA 20, 1948

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

का.आ. 2978(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित तारीख 9 मार्च, 2018 की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1034 (अ) द्वारा ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम को भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई, 2026 से निरसित किया जाता है।

उक्त अधिसूचना के निरसित होने से इस अधिसूचना के प्रारंभ होने से पहले की गई या किए जाने से शेष रह गई किसी भी मद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी कार्रवाइयों को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अधीन किया गया या लोप किया गया माना जाएगा।

[फा. सं. 10/1/2023- ईसी]

दिवाकर नाथ मिश्रा, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1034 (अ), तारीख 9 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 1930 (अ), तारीख 9 जून, 2020 और का.आ. 2789 (अ) तारीख 27 जून, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th June, 2026

S.O. 2978(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby repeals the notification of the Government of India, Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1034 (E), dated the 9th March, 2018, relating to the Standards and Labelling Program for Tubular Fluorescent Lamps, with effect from the 1st July, 2026.

The repeal of the said notification shall not affect anything done or omitted to be done before the commencement of this notification, and such actions shall be deemed to have been done or omitted under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001.

[F. No. 10/1/2023-EC]

DIWAKAR NATH MISHRA, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii), vide notification number S.O. 1034 (E), dated the 9th March, 2018, and subsequently amended vide numbers S.O. 1930 (E), dated the 9th June, 2020 and S.O. 2789 (E) dated the 27th June, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

का.आ. 2979(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित तारीख 09 मार्च, 2018 की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1033 (अ) द्वारा ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के लिए मानकों और लेबलिंग कार्यक्रम को 01 जुलाई, 2026 से भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा निरसित किया जाता है।

उक्त अधिसूचना के निरसित होने से इस अधिसूचना के प्रारंभ होने से पहले की गई या किए जाने से शेष रह गई किसी भी मद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी कार्रवाइयों को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अधीन किया गया या लोप किया गया माना जाएगा।

[फा. सं. 10/1/2023- ईसी]

दिवाकर नाथ मिश्रा, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1033 (अ), तारीख 9 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

S.O. 2979(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby repeals the notification of the Government of India, Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1033(E), dated the 9th March, 2018, relating to the Standards and Labelling Program for Tubular Fluorescent Lamps, with effect from the 1st July, 2026.

The repeal of the said notification shall not affect anything done or omitted to be done before the commencement of this notification, and such actions shall be deemed to have been done or omitted under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001.

[F. No. 10/1/2023-EC]

DIWAKAR NATH MISHRA, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii), vide notification number S.O. 1033 (E), dated the 9th March, 2018.